छ.ग. शासन द्वारा मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन

कार्यालय-प्लॉट नं. ओ/6, दुबे कालोनी, मोवा, रायपुर (छ.ग.) 492014

सुभाष मिश्र
संरक्षक
मो.नं.-9425203900

Email : cgfederation2019@gmail.com

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्टर्ड
(पंजीयन क्रमांक-122202017067 रायपुर दिनांक 16/01/2020)

कमल वर्मा
प्रांतीय संयोजक
प्रदेश अध्यक्ष - छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ
मो.नं.-9425509920, 7974388672

पत्र क्र. छ.ग.क.अ.फे./....816..

रायपुर, दिनांक ..28/04/2026

प्रति,

माननीय अध्यक्ष महोदय
आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय: आठवें वेतनमान आयोग हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियोंध्अधिकारियों के वेतन–भत्तों एवं सेवा शर्तों के संबंध में बिंदुवार सुझाव प्रेषित करने बाबत्।

संदर्भ: भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा आठवें वेतन आयोग के सुझााव।

...000...

महोदय,

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, राज्य के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, निगम–मंडल, शिक्षक एवं पेंशनभोगियों का प्रतिनिधि संगठन है। आठवें वेतन आयोग के समक्ष फेडरेशन निम्नलिखित बिंदुवार सुझाव/मांगें प्रस्तुत करता है:-

civilindia.in

1. <u>न्यूनतम वेतन एवं फिटमेंट फैक्टर</u>

– न्यूनतम वेतन: डॉ. आकरायड फॉर्मूला+15वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम वेतन ₹30,000 से ₹32,500 प्रतिमाह निर्धारित किया जाए।

– फिटमेंट फैक्टर: 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। मुद्रास्फीति एवं जीवन यापन लागत को देखते हुए इसे न्यूनतम 3.68 किया जाए।

2. वेतन संरचना में सुधार

– Pay Matrix का सरलीकरण: वर्तमान 18 लेवल के स्थान पर तर्कसंगत लेवल रखे जाएं ताकि पदोन्नति में वेतन विसंगति न हो।

– वार्षिक वेतनवृद्धि: 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की जाए।

– पदोन्नति/ACP: 8–16–24–32 वर्ष की सेवा पर 4 स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान दिया जाए। MACP में ग्रेड–पे के स्थान पर अगला लेवल दिया जाए।

3. महंगाई भत्ता DA/DR

– DA का मूल वेतन में विलय: जब DA 50 प्रतिशत पार करे तो उसे स्वतः मूल वेतन में मर्ज कर नए सिरे से DA की गणना हो।

– DA की गणना: AICPI आधार वर्ष को अद्यतन किया जाए। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्थानीय महंगाई अधिक है, इसके लिए विशेष भत्ता दिया जाए।

क्रमशः..2..

Scanned with OKEN Scanner

छ.ग. शासन द्वारा मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन
कार्यालय-प्लॉट नं. ओ/6, दुबे कालोनी, मोवा, रायपुर (छ.ग.) 492014
Email : cgfederation2019@gmail.com
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्टर्ड
(पंजीयन क्रमांक-122202017067 रायपुर दिनांक 16/01/2020)

सुभाष मिश्र
संरक्षक
मो.नं.-9425203900

कमल वर्मा
प्रांतीय संयोजक
प्रदेश अध्यक्ष - छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ
मो.नं.-9425509920, 7974388672

पत्र क्र. छ.ग.क.अ.फे./....816..   रायपुर, दिनांक 28/04/2026

4. गृह भाड़ा भत्ता HRA

– श्रेणीकरण: X,Y,Z श्रेणी के शहरों के लिए HRA क्रमशः 30%, 20%, 10% से बढ़ाकर 40%, 30%, 20% किया जाए।

– छत्तीसगढ़ हेतु: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग–भिलाई को Y श्रेणी से X श्रेणी में उन्नयन किया जाए। अन्य जिला मुख्यालयों को Z से Y श्रेणी में रखा जाए।

5. अन्य भत्ते

– चिकित्सा सुविधा: कैशलेस मेडिकल बीमा योजना लागू हो। CGHS की तर्ज पर राज्य के सभी कर्मचारियों को सुविधा मिले। चिकित्सा भत्ता न्यूनतम ₹3000/माह हो।

– यात्रा भत्ता TA: पेट्रोल–डीजल की दरों के अनुसार संशोधित हो। किलोमीटर दर दोगुनी की जाए।

– संतान शिक्षा भत्ता: ₹4500 प्रति बच्चा प्रति माह किया जाए एवं उच्च शिक्षा तक दिया जाए।

– जोखिम भत्ता: पुलिस, वन, स्वास्थ्य, बिजली, PHE जैसे जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे कर्मचारियों हेतु मूल वेतन का 20% जोखिम भत्ता।

civilindia.in

6. पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ

– पुरानी पेंशन योजना OPS: 01.01.2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों हेतु OPS बहाल की जाए। NPS को समाप्त किया जाए।

– पेंशन गणना: अंतिम आहरित वेतन का 50%+DA को पूर्ण पेंशन माना जाए।

– पारिवारिक पेंशन: वर्तमान 30% से बढ़ाकर 50% की जाए।

– ग्रेच्युटी सीमा: ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख की जाए।

– पेंशन में वृद्धि: 65, 70, 75, 80 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5%, 10%, 15%, 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाए।

7. छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष मांगें

– केंद्रीय दरों पर DA: राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान तिथि से DA दिया जाए। वर्तमान में 2%की विसंगति है।

– सभी विभागों में एक प्रदेश एक समान भर्ती नियम लागू किया जाएं तथा वेतनमान मे समरूपता रखी जाएं।

– संविदा/दैनिक वेतनभोगी: सभी अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर 7वें वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया जाए।

– आदिवासी/नक्सल क्षेत्र भत्तारू बस्तर, सरगुजा संभाग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु मूल वेतन का 25% विशेष भत्ता।

– आवास सुविधा: सभी जिला मुख्यालयों में शासकीय आवास का निर्माण एवं आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाए।

क्रमशः..3..

Scanned with OKEN Scanner

छ.ग. शासन द्वारा मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन

कार्यालय-प्लॉट नं. ओ/6, दुबे कालोनी, मोवा, रायपुर (छ.ग.) 492014

Email : cgfederation2019@gmail.com

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्टर्ड

(पंजीयन क्रमांक-122202017067 रायपुर दिनांक 16/01/2020)

सुभाष मिश्र
संरक्षक
मो.नं.-9425203900

कमल वर्मा
प्रांतीय संयोजक
प्रदेश अध्यक्ष - छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ
मो.नं.-9425509920, 7974388672

पत्र क्र. छ.ग.क.अ.फे./.....8.16.

रायपुर, दिनांक 28/04/2026

8. कार्य–स्थिति एवं अन्य

– कार्य अवधि: 5 दिवसीय कार्य सप्ताह सभी विभागों में लागू हो।
– महिला कर्मचारियों हेतु: चाइल्ड केयर लीव 730 दिन से बढ़ाकर 1000 दिन। सभी कार्यालयों में क्रेच सुविधा।
– कैडर रिव्यू: सभी विभागों में समयबद्ध कैडर रिव्यू कर पदोन्नति के अवसर बढ़ाए जाएं।

अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि 134 मान्यता प्राप्त एवं गैर–मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, माननीय आयोग से अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कर्मचारियों के हित में अनुशंसा की जाए, जिससे कर्मचारी वर्ग सम्मानजनक जीवन यापन कर सके एवं प्रशासन को बेहतर योगदान दे सके।

सधन्यवाद।

भवदीय,

(कमल वर्मा) 28/04/2026

प्रांतीय संयोजक एवं
प्रदेश अध्यक्ष–छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ

civilindia.in

Scanned with OKEN Scanner